डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261] रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 नवम्बर 2001—अग्रहायण 3, शक 1923

जेल विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2001

अधिसूचना

बंदी कल्याण तथा पुनर्वास नीति

क्रमांक एफ-1-11/जेल/2001.— छत्तीसगढ़ शासन बंदियों के कल्याण एवं उनको भविष्य में सफलतापूर्वक समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर केन्द्रित एवं समग्र बंदी कल्याण तथा पुनर्वास नीति तैयार की है. उक्त नीति के मुख्य लक्ष्य निम्नानुसार है :—

1. कैदियों का समय एवं शक्ति का उत्पादक उपयोग.
2. कैदियों की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति में तरक्की.
3. किशोर वंदियों एवं महिला बंदियों को सभी प्रकार के शोषण से बचाना.
4. कैदियों को समाज की मुख्यधारा से सफलतापूर्वक जोड़ने हेतु एक समग्र पुनर्वास कार्यक्रम.
5. शासकीय प्रयासों को पूरक सहयोग करने हेतु समाज सेवी संगठनों की सहभागिता.

1. कैदियों का समय एवं शक्ति का उत्पादक उपयोग—

कैदियों को किसी न किसी संरचनात्मक गतिविधि में व्यस्त रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि कहावत है ''खाली दिमाग शैतान का घर होता है'' काम चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, कैदियों को क्रियाशील एवं सजग रखेगा एवं नकारात्मक सोच अथवा हीनभावना से ग्रसित होने से बचाएगा.

साक्षरता की कक्षाएं, साक्षरों एवं निरक्षरों को क्रमश: पढ़ाने वाले एवं पढ़ने वाले के रूप में संबद्ध करेंगे. इससे बंदियों के मानसिक क्षमताओं में वृद्धि करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

व्यवसायिक प्रशिक्षण के दो लाभ होते हैं. पहला, बंदियों का समय एवं शक्ति का उत्पादक उपयोग. दूसरा, भविष्य में उनका सफल पुनर्वास में मद्दगार होगा. सिलाई, बुनाई, बढ़ाई, जूट वस्तुओं की तैयारी जैसे परंपरागत व्यवसायों के अतिरिक्त कैदियों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नए व्यवसायों की पहचान की जाएगी. आज की दुनिया में कम्प्यूटर के बढ़ते उपयोग को देखते हुए शिक्षित किशोर बंदियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा.

2. **कैदियों की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति में तरक्की—**

बंदियों की स्वास्थ्य एवं खुशहाली हेतु एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है, जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देना होगा. नियमित रूप से शारीरिक प्रशिक्षण तथा मैदानी खेल आयोजित करने से कैदियों को शारीरिक रूप से चुस्त बनाया जा सकता है. इस प्रकार प्रशिक्षण एवं खेल हेतु कैदियों की शारीरिक क्षमताएं एवं सीमाओं के दृष्टिगत अलग-अलग समूह बनाना पड़ेगा.

साक्षरता की कक्षाओं से बंदियों के मानसिक विकास में वृद्धि होगी. कैदियों को आगे पढ़ने हेतु हर संभव प्रोत्साहित किया जाएगा.

कैदियों में खासकर लंबी सजा काटने वाले कैदियों में नकारात्मक सोच एवं प्रवृत्ति की आशंका रहती है. यह न तो स्वयं कैदी के हित में है और न ही समाज के हित में. यह आवश्यक है कि बंदी अपनी पूर्व गलतियों को स्वीकारे एवं यह निर्णय ले कि भविष्य में इन्हें नहीं दोहराएंगे, किन्तु इसके साथ-साथ उनमें भविष्य के लिए एक सकारात्मक सोच पैदा करना जरूरी है. अत: नैतिक शिक्षण को भी नित्य कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा.

3. **किशोर बंदियों एवं महिला बंदियों को सभी प्रकार के शोषण से बचाना—**

किशोर अपराधियों को वयस्क कैदियों से पृथक रखना अत्यंत आवश्यक है. इसी उद्देश्य से रायगढ़ में एक किशोर बंदीगृह स्थापित करने की योजना बनाई गई है.

इसी प्रकार महिला कैदियों को भी पृथक रखना आवश्यक है एवं इनकी देखभाल महिला स्टाफ द्वारा की जानी चाहिए.

4. **कैदियों को समाज की मुख्य धारा से सफलतापूर्वक जोड़ने हेतु एक समग्र पुनर्वास कार्यक्रम—**

जेल से रिहा होने के पश्चात् कैदियों का पुनर्वास एक बड़ी समस्या है. व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनर्वास योजना का महत्वपूर्ण अंग है. कम्प्यूटर ऑपरेटर जैसे नई व्यवसायों की पहचान की जायेगी. पुनर्वास योजना तभी सफल होगी जब वह कैदियों की अभिरुचि, पूर्व अनुभव, जेल में बिताने वाला समय इत्यादि के अनुसार बनाया जाता है. अत: एक पुनर्वास समिति का गठन प्रस्तावित है जो कि एक समग्र पुनर्वास कार्यक्रम हेतु विस्तृत कार्य योजना बना कर देगी.

5. **शासकीय प्रयासों को पूरक सहयोग करने हेतु समाज सेवी संगठनों की सहभागिता—**

शासन के वित्तीय एवं मानव संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कैदियों के कल्याण हेतु स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है. स्वास्थ्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण, साक्षरता पुनर्वास कार्यक्रम, संबंधी क्षेत्रों में स्वयं सेवी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे कैदियों का समाज से संपर्क भी बना रहेगा.

Raipur, the 21st November 2001

NOTIFICATION

PRISONERS WELFARE AND REHABILITATION POLICY

No. F-1-11/Jail/2001.—The Government of Chhattisgarh has evolved a comprehensive Prisoners Welfare and Rehabilitation Policy focussing on the welfare of prisoners and their eventual successful integration into the mainstream of society. The following are the main objectives of the jail policy :—

1. Productive use of the time and energies of prisoners.
2. Improvement in the physical, mental and spiritual health of prisoners.
3. Protection of juvenile delinquents and women prisoners from all kinds of exploitation.
4. A comprehensive rehabilitation programme for prisoners to ensure their successful integration into the mainstream of society.
5. Involvement of N.G.O's wherever feasible to supplement governmental efforts.

1. Productive use of the time and energies of prisoners—

It is essential to keep prisoners occupied for as the saying goes "An idle mind is the devil's workshop". Work both physical and mental, will keep the prisoners alert, active and act as a safeguard against their slipping into depression.

Literacy classes would involve both the literate and the illiterates (as teachers and taught respectively). They would sharpen the mental faculties of prisoners and boost their confidence levels.

Vocational training serves the twin purposes of productive use of the energies of prisoners and of facilitating their rehabilitation in the long run. Besides the traditional trades, such as tailoring, knitting, carpentry, jute articles etc,. new trades would be identified, keeping in view the abilities of prisoners. In view of the increasing use of computers in today's world, the educated among the juvenile delinquents can be imparted computer skills.

2. Improvement in the physical, mental & spiritual health of prisoners—

A holistic approach covering the physical, mental and spiritual facets is necessary in order to improve the health and general will being of prisoners. Physical training drill on a regular basis, as well as outdoor games would help keep prisoners physically active. The drill and games would be devised for different groups of prisoners, keeping their potential and limitations in mind.

Literacy classes would sharpen the mental faculties of prisoners. All efforts shall be made to encourage educational pursuits of prisoners.

Prisoners in general and those serving long sentences in particular run the risk of developing a negative brooding attitude. This is in the interest of neither the prisoners themselves nor of the society at large. While it is necessary for them to realise the mistakes of the past and resolve not to repeat them in future, they must learn to develop a positive, forward looking approach. With this end in view sessions in ethics and moral values shall be incorporated into the schedule.

3. Protection of juvenile delinquents and women prisoners from all kinds of exploitation—

It is of utmost importance to completely segregate juvenile delinquents from adult prisoners. Hence a Borstal institution is proposed to be set up at Raigarh district.

Similarly, total segregation of women prisioners is essential. It is also important that female jail staff be placed in charge of women prisoners.

4. A comprehensive rehabilitation programme for prisoners to ensure their successful integration into the mainstream of society—

One of the biggest problems faced by prisoners on their release from jail is that of rehabilitation. The vocational training programmes are an itegral part of the rehabilitation scheme. New vocations (such as computer operator) shall be identified in keeping with the changing times and skills imparted to prisoners with an aptitude. Rehabilitation package has to be tailor made for each individual prisoner taking into account his aptitude, past experience, period to be spent in jail etc. Hence it is proposed to constitute a Rehabilitation Committee which will provide the blue print for a comprehensive rehabilitation programme.

5. Involvement of N.G.O's. wherever feasible to supplement governmental efforts—

In view of the shortage of financial and manpower resources, it is necessary to involve identified N.G.O's in different spheres such as health, vocational training, literacy, rehabilitation programme etc. Involvement of N.G.O's would also be one way of keeping the prisoners in some kind of contact with the rest of society.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित–2001